अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जनवरी, 2015

फा.सं. एल-विविध/VI/1/2007.—पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006, (2006 का 19) की धारा 61 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (सामान्य वाहक या संविदा वाहक के रूप में पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइनों की घोषणा या प्राधिकृत करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत) विनियम, 2012, में संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामत् : :—

1. **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभण**

(1) इन नियमों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (सामान्य वाहक या संविदा वाहक के रूप में पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइनों की घोषणा या प्राधिकृत करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत) संशोधन विनियम, 2014 कहा जाएगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होंगे।

2. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक (सामान्य वाहक या संविदा वाहक के रूप में पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइनों की घोषणा या प्राधिकृत करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत) विनियम, 2012 के विनियम 11 में उप-नियम (घ) के लिए निम्नलिखित को प्रस्थापित किया जाएगा, नामत् : :—

" (घ) इन विनियमों की व्याख्या के रूप में यदि, कोई प्रश्न उत्पन्न होता है तो उसका निर्णय बोर्ड द्वारा लिया जाएगा।" ।

के. राजेश्वर राव, विशेष कार्याधिकारी (आर)

[विज्ञापन-III/4/असा./188/14]

पाद टिप्पणी : मुख्य विनियम फा. सं. एम(सी)/2009 दिनांक 5-7-2012 के माध्यम से अधिसूचित हुए थे।

66 4715-4

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st January, 2015

F.No. L-MISC/VI/I/2007.—In exercise of the powers conferred by section 61 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (19 of 2006), the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board hereby makes the following regulations to amend the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Guiding Principles for Declaring or Authorizing Petroleum and Petroleum Products Pipelines as Common Carrier or Contract Carrier) Regulations, 2012, namely:—

1. Short title and commencement.

(1) These regulations may be called the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Guiding Principles for Declaring or Authorizing Petroleum and Petroleum Products Pipelines as Common Carrier or Contract Carrier) Amendment Regulations, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In regulation 11 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Guiding Principles for Declaring or Authorizing Petroleum and Petroleum Products Pipelines as Common Carrier or Contract Carrier) Regulations, 2012, for sub-clause (d), the following shall be substituted, namely:—

"(d) If any question arises as to the interpretation of these regulations, the same shall be decided by the Board.".

K. RAJESWARA RAO, OSD (R)

[ADVT. III/4/Exty./188/14]

Foot Note : Principal regulations were notified *vide* F. No. M(C)/2009, dated 5-7-2012.